संख्या– 741 / नौ–9–2018–123ज / 11

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 13 जून,2018

विषय :चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में वित्तीय वर्ष 2015–16,2016–17 एवं 2017–18 में नागर निकायों को स्वीकृत अनुदान की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में समस्त नागर निकायों को बुनियादी अनुदान की स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि **दिनांक 31 मार्च,2019 तक** इस शर्त के अधीन बढ़ाई जाती है कि समस्त नागर निकाय प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय / उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे की उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।

3. निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का प्रयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। बढ़ायी जाने वाली समय–सीमा के अन्तर्गत धनराशि के पूर्ण उपयोग की समय–समय पर समीक्षा की जाती रहे, जिससे कोई भी धनराशि किसी भी कारण अप्रयुक्त न रह जाय।

भवदीय,
13/6/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0)

3. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधिशासी अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा–निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
5. वित्त संसाधन(वित्त आयोग)अनुभाग–1
6. वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता)अनुभाग–1
7. वेब मास्टर,वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

13/1/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।